बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु दिग्दर्शिका

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली–110 002

वेबसाइटः **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु दिग्दर्शिका

प्रस्तावना

वैश्वीकरण तथा भूमण्डलीकरण के युग में हिन्दी भाषा और साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन बहुत बड़ी चुनौती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी भाषा और साहित्य को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए। हिंदी देश की अस्मिता की प्रतीक एवं साहित्य अमूल्य धरोहर है। भाषा और साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भारत सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना एवं कार्यरत हिंदी विभागों का उन्नयन इसी प्रयास की कड़ी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु सिफारिश की गयी थी। फलस्वरूप आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी अनुदानित विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रयत्नशील है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन करना है, जिससे हिन्दी भाषा और साहित्य का बहुआयामी विकास एवं संवर्धन हो तथा वैश्वीकरण के युग में हिन्दी शिक्षा को समाजोपयोगी, रोजगारोन्मुखी बनाने के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ा जा सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वयन महती आवश्यकता है।

नवीन हिन्दी विभाग की स्थापना

आयोग से अनुदान प्राप्त जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग नहीं है, वहाँ हिंदी विभागों की स्थापना करने के लिए अग्रलिखित शैक्षणिक एवं ढाँचागत व्यवस्थाएं आवश्यक होंगी।

शैक्षणिक पद

नये स्थापित हिन्दी विभागों में निम्नलिखित पद सृजित किए जाएंः–

1.	प्रोफेसर	– 1	
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	– 2	वास्तविक वेतन आयोग के
3.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	– 4	नियमानुसार *
		कुल पद 7	

* (संभावित आवर्ती व्यय अस्सी लाख रुपये प्रतिवर्ष)

- आयोग द्वारा अन्य विभागों के लिए उपर्युक्त पद स्वीकृत हैं। इससे विश्वविद्यालय के विभागों में एकरूपता आ जाएगी तथा विभाग को आयोग से अथवा अन्य संस्थानों से अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त हो जाएगी।
- उपरोक्त सभी पदों का वेतन बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। तत्पश्चात् ये सभी पद राज्य विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिए जाएंगे, यह **आश्वासन प्रमाण पत्र** पदों पर नियुक्ति से पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः आयोग को प्रेषित करना होगा।
- आयोग से शत–प्रतिशत अनुदान पाने वाले विश्वविद्यालयों में ये पद अन्य पदों के साथ समायोजित हो जाएंगे।

ढाँचागत सुविधाएं

अनावर्ती व्यय – योजनागत

भवन निर्माण – अधिकतम राशि एक करोड़ रुपये
(अन्य विभाग के समरूप आवश्यकतानुसार)

उपकरण – अधिकतम दस लाख लाख रुपये।
(अन्य विभागों के समकक्ष आवश्यकतानुसार)

आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष

- **पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं** – एक लाख रुपये प्रतिवर्ष
- **संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला** – दो लाख रुपये प्रति वर्ष
- **आकस्मिक व्यय** – एक लाख रुपये प्रति वर्ष

पाठ्यक्रम संरचना सम्बन्धी निर्देश

वैश्वीकरण के नये परिदृश्य में हिन्दी भाषा और सहित्य को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों का समावेश अवश्य किया जाना चाहिए।

1. अनुवाद
2. जनसंचार
3. भाषा (हिन्दीतर भारतीय भाषा)
4. प्रवासी भारतीय साहित्य
5. पर्यावरण एवं साहित्य
6. रचनात्मकता एवं नवाचार

अंतर अनुशासनिक शोध

भूमण्डलीकरण के युग में विश्व ग्राम की परिकल्पना ने सांस्कृतिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया को तीव्र किया है। हिंदी साहित्य में हमारी अभूतपूर्व सांस्कृतिक सम्पदा समाविष्ट है। साहित्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को गहनता से समझने के लिए विविध विषयों से भरपूर सहायता मिलती है। इसलिए अंतर अनुशासनिक शोध को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। हिंदी के अंतर अनुशासनिक शोध हेतु मीडिया /पत्रकारिता/पर्यावरण/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/दर्शन/इतिहास/प्रबन्धन इत्यादि विषयों का समावेश करना आवश्यक है।

कार्यरत हिन्दी विभागों का उन्नयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त अनेक केन्दीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों मे हिंदी विभागों की स्थापना हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। इन विभागों को समय सापेक्ष एवं समाजोपयोगी शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाने हेतु उन्नयन की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नलिखित शैक्षणिक एवं ढाँचागत व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

शैक्षणिक पद

जिन विभागों में प्राध्यापकों की संख्या पूर्व पृष्ठों पर उल्लिखित नवीन विभागों के लिए प्रस्तावित पदों से कम है, उनका उन्नयन करते हुए प्राध्यापकों के पदों की संख्या 1:2:4 (एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रो0 तथा चार असिस्टेन्ट प्रो0) के अनुपात में करना अनिवार्यतः अत्यावश्क है।

पाठ्यक्रम संशोधनः

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- भारतीय भाषा शिक्षण (एक वर्ष)
- अनुवाद (एक वर्ष)
- समाचार वाचन (एक वर्ष)
- स्क्रिप्ट लेखन (फिल्म, विज्ञापन, धारावाहिक, वृत्तचित्र हेतु) (एक वर्ष)

अंतर अनुशासनिक शोध

अंतर अनुशासिनक शोध को पूर्व पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण के अनुसार बढ़ावा दें।

ढाँचागत सुविधाएं

भवन पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु अनुदान (अनावर्ती व्यय)

विश्वविद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण एवं अव्यवस्थित हिन्दी विभागों के उन्नयन हेतु भवनों और कक्षों का पुनर्निर्माण आवश्यक है।

- भवन मरम्मत, रंग रोगन के साथ ही कक्षाओं का आधुनिकीकरण।

- लैंग्वेज लैब/कंप्यूटर लैब का नवीनीकरण (इंटरनेट एवं वाई–फाई की सुविधा सहित) ।
  (अनुदान अधिकतम पचास लाख रुपये)

उपकरण (अनावर्ती योजनागत व्यय)

अन्य विभागों के समकक्ष आवश्यकता अनुसार अधिकतम दो लाख रुपये।

- **पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं** – एक लाख रुपये प्रतिवर्ष (आवर्ती व्यय)
- **संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, विशिष्ट व्याख्यान तथा शोध पत्रिका प्रकाशन** – दो लाख रुपये प्रति वर्ष (आवर्ती व्यय)
- **आकस्मिक व्यय** – एक लाख रुपये प्रति वर्ष (आवर्ती व्यय)

सामान्य निर्देश

- हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाएं आयोग की अन्य योजनाओं के समान ही होंगी।
- पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के समकक्ष पदों के समान ही होंगी।
- अनुदान राशि की स्वीकृति, निर्गमन, उपयोग एवं लेखा परीक्षण अन्य विभागों में क्रियान्वित आयोग की योजनाओं के समान ही होगा।
- आवेदन पत्र, आय–व्यय विवरण तथा, उपयोगिता प्रमाण पत्र दिग्दर्शिका के साथ संलग्न है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन हेतु आवेदन पत्र

1. **विश्वविद्यालय का विवरण**

   अ. विश्वविद्यालय का नाम :

   ब. पत्र व्यवहार का पता :

   स. वेबसाइट का पता :

   द. ई–मेल :

   य. फोन नं0 :

2. विश्वविद्यालय की स्थापना (तिथि एवं वर्ष) :

3. अधिनियम एवं अधिसूचना जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। (प्रतिलिपि संलग्न करें।) :

4. क्या विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि में राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (NAAC) से प्रमाण पत्र प्राप्त है, यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें। :

5. विश्वविद्यालय के कुल संकायों की संख्या (सूची संलग्न करें) :

6. विश्वविद्यालय के संकायों के अंतर्गत विभागों की संख्या (सूची संलग्न करें) :

7. विश्वविद्यालय की विगत पाँच वर्षों की मुख्य उपलब्धियाँ (यदि आवश्यक हो तो विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें) :

8. विश्वविद्यालय की वित्तीय जानकारी (विगत पाँच वर्षों का बजट विवरण संलग्न करें) :

अ. आय विवरण

i.) पाठ्यक्रम शुल्क :

ii.) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान :

iii.) आयोग से प्राप्त अनुदान :

iv.) अन्य स्रोत (विस्तृत जानकारी) :

ब. व्यय विवरण

9. प्रस्तावित हिन्दी विभाग की विस्तृत रूपरेखा :

कुलसचिव
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

कुलपति
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

मानित विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु आवेदन पत्र

1. विश्वविद्यालय के प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम :

2. सोसायटी/ट्रस्ट की स्थापना (तिथि एवं वर्ष) :

3. सोसायटी/ट्रस्ट का विस्तृत पता

   अ. पत्र व्यवहार का पता :

   ब. वेबसाइट का पता :

   स. ई–मेल :

   द. फोन नं. :

4. अधिनियम एवं अधिसूचना जिसके अंतर्गत सोसायटी/ट्रस्ट की स्थापना हुई। (प्रतिलिपि संलग्न करें।) :

5. क्या मानित विश्वविद्यालय आयोग की अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के अंतर्गत अधिसूचित है? :

   अ. 2 (एफ) हाँ/नहीं

   ब. 12 (बी) हाँ/नहीं

6. यदि पूर्व में आपके विश्वविद्यालय के विरुद्ध नियम उल्लंघन अथवा अन्य किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसका विवरण दें। :

7. क्या विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि में राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (NAAC) से प्रमाण पत्र प्राप्त है, यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें। :

8. विश्वविद्यालय के कुल संकायों की संख्या (सूची संलग्न करें) :

9. विश्वविद्यालय के संकायों के अंतर्गत विभागों की संख्या (सूची संलग्न करें) :

10. विश्वविद्यालय की विगत पाँच वर्षों की मुख्य उपलब्धियाँ (यदि आवश्यक हो तो विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें) :

11. विश्वविद्यालय की वित्तीय जानकारी (विगत पाँच वर्षों का बजट विवरण संलग्न करें) :

अ. आय विवरण

i.) पाठ्यक्रम शुल्क :

ii.) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान :

iii.) आयोग से प्राप्त अनुदान :

iv.) अन्य स्रोत (विस्तृत जानकारी) :

ब. व्यय विवरण

12. प्रस्तावित हिन्दी विभाग की विस्तृत रूपरेखा :

कुलसचिव
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

कुलपति
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

विश्वविद्यालयों में स्थापित हिन्दी विभाग के उन्नयन हेतु आवेदन पत्र

1. हिन्दी विभाग की स्थापना : (तिथि एवं वर्ष)

2. विभागाध्यक्ष का विवरण

   अ. विभागाध्यक्ष का नाम :

   ब. पत्र व्यवहार का पता :

   स. ई–मेल :

   द. फोन नं0 :

3. **विद्यार्थियों का विवरण** :

पाठ्यक्रम का नाम	**निर्धारित विद्यार्थी संख्या**	**प्रति वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या**
बी.ए.		
एम.ए.		
शोध		
i. एम.फिल		
ii. पी.एच.डी.		

4. **विभागीय विवरण**

(अ) संकाय सदस्यों का विवरण

कैडर		**स्वीकृत**	**कार्यरत**
1.	प्रोफेसर		
2.	एसोसिएट प्रोफेसर		
3.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर		

(ब) संकाय सदस्यों की उपलब्धियाँ

I. विगत पाँच वर्षों में सम्पन्न शोध परियोजनाओं की जानकारी

राष्ट्रीय स्तर			अंतर्राष्ट्रीय स्तर		
परियोजनाओं का नाम	संस्था	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	परियोजनाओं का नाम	संस्था	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)

II. विगत पाँच वर्षों में शिक्षकों को प्राप्त सम्मान/ पुरस्कार आदि।

पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कृत व्यक्ति का नाम
राष्ट्रीय स्तर		
अंतर्राष्ट्रीय स्तर		

III. एकेडमिक/प्रोफेशनल समितियों की सदस्यता

समिति/संस्था का नाम	पदाधिकारी (यदि हों तो)
राष्ट्रीय स्तर	
अंतर्राष्ट्रीय स्तर	

IV. विगत पाँच वर्षों में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

कार्यक्रम	राष्ट्रीय स्तर	अंतर्राष्ट्रीय स्तर
संगोष्ठी/सम्मेलन		
कार्यशाला		
पुनश्चर्या कार्यक्रम		
व्याख्यान		
शोध पत्रिका का प्रकाशन		
अन्य सूचना (यदि कोई हो)		

V. पुस्तकालय का विवरण

1. पुस्तकों की संख्या :
2. पत्र पत्रिकाओं की संख्या
   (1) शोध :
   (2) साहित्यिक :
   (3) सांस्कृतिक :
   (4) अन्य :

VI. कंप्यूटर लैब/लैंग्वेज लैब की स्थिति

5 ढांचागत सुविधा

1. उपलब्ध कक्षों की संख्या

(1) विभागाध्यक्ष कक्ष :

(2) संकाय सदस्य कक्ष :

(3) कक्षा कक्ष :

(4) अन्य :

2. इंटरनेट/वाई–फाई की सुविधा

6. प्रस्तावित हिन्दी विभाग की विस्तृत रूपरेखा :

कुलसचिव
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

कुलपति
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ओदश प्रारूप (मेनडेट फार्म)

भुगतान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिानिक सेवा (क्रेडित क्लियरिंग)/रीयल टाईम ग्रॉस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) सुविधा।

क. खाता धारक का ब्यौरा

1.	खाता धारक का नाम	
2.	पूरा पता	
3.	दूरभाष नम्बर/फैक्स/ई–मेल	

ख. बैंक खाते का ब्यौरा

1.	बैंक का नाम	
2.	शाखा का नाम और पूरा पता, दूरभाष नम्बर तथा ई–मेल	
3.	क्या शाखा कम्प्यूटरीकृत है?	
4.	क्या शाखा आरटीजीएस सक्षमकारी है? यदि हाँ तो शाखा का आईएफएस कोड क्या है?	
5.	क्या शाखा एनईएफटी सक्षमकारी भी है?	
6.	बैंक खाते का स्वरूप (बचत/चालू/कैश क्रेडिट)	
7.	पूरा खाता नम्बर	
8.	बैंक का एमएाईसीआर संख्या	

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया ब्यौरा पूर्ण है और सही है। यदि अपूर्ण और गलत जानकारी के कारण लेन–देन में विलम्ब होता है, अथवा नहीं हो पाता है तो मैं इसके लिए इसका उपयोग करने वाले संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा/गी। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र भी पढ़ लिया है तथा मैं योजना के तहत भागीदार के रूप में मेरे द्वारा प्रत्याशित उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए सहमत हूँ।

(.....)

दिनांक

(कुलसचिव के हस्ताक्षर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

हिन्दी विभाग के स्थापना एवं उन्नयन के संदर्भ में किए गए आय और व्यय के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

1. विश्वविद्यालय का नाम :
2. वि0अ0आ0 के अनुमोदन की तिथि तथा संख्या एफ0––––––––––––––
3. अवधि जिससे लेखा संबंधित हैः ––––––––––––––से––––––––––––––तक़
4. वास्तव में हुए व्यय का ब्योराः

मद संख्या	अनुमोदित राशि	निर्गत राशि	व्यय विवरण	अव्ययित शेष	संभावित राशि
अनावर्ती					
आवर्ती					
वेतन (माहवार विस्तृत विवरण)					

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुदान राशि का उपयोग आयोग के नियम और शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रयोजन के लिए किया गया है।

विभागाध्यक्ष
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

कुलसचिव
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

.....विश्वविद्यालय

उपयोग प्रमाण–पत्र

(कार्य समापन के दस्तावेजों के साथ जमा किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा.....
.....के प्रयोजनार्थ, दिनांक.....के पत्रांक सं0 एफ0.....
के माध्यम से स्वीकृत.....(रु0.....) की अनुदान राशि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई निबंधन और शर्तों के अनुसार कर लिया गया है।

यदि बाद में, जांच एवं लेखा परीक्षा की आपत्तियों के परिणामस्वरूप, कतिपय अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संदर्भित राशि के प्रतिदाय, समायोजन अथवा राशि को विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

कुलसचिव
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

अधिकारिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकर
(मुहर सहित हस्ताक्षर)